

कर-राजस्व
निगम कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

	(करोड़ रुपए)		
	बजट	संशोधित	बजट
	2001-2002	2001-2002	2002-2003
(क) साधारण संग्रहण	16707.37	15077.61	18455.71
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	26237.35	23054.42	27683.57
(ग) अधिभार	884.00	734.00	2245.00
(घ) विविध प्राप्तियां	371.28	192.97	231.72
जोड़	44200.00	39059.00	48616.00

वर्ष 2001-2002 के दौरान 39059 करोड़ रुपए और 2002-2003 में 48616 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है।

निगम-कर से भिन्न आय पर कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

	(करोड़ रुपए)		
	बजट	संशोधित	बजट
	2001-2002	2001-2002	2002-2003
(क) साधारण संग्रहण	28302.05	12711.00	15223.52
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	9334.15	19374.00	22835.28
(ग) अधिभार (संघ)	812.00	516.00	2300.00
(घ) विविध प्राप्तियां	2151.80	1837.00	2165.20
जोड़	40600.00	34438.00	42524.00

वर्ष 2001-2002 के दौरान 34438 करोड़ रुपए और वर्ष 2002-2003 में 42524 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है।

व्यय कर

व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, ऐसे होटलों में ठहरने पर किए गए व्यय के संबंध में कराधान का प्रावधान है, जहाँ किसी रिहायशी स्थान की एक इकाई के कमरे का प्रति व्यक्ति दैनिक किराया बारह सौ रुपए अथवा उससे अधिक हो। 1 अक्टूबर, 1998 से अधिनियम के खण्ड 3 में निर्धारित 1200 रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2000 रुपए अथवा अधिक कर दिया गया है। दिनांक 1-6-1992 से पहले किए गए व्यय के लिए यह राशि प्रति व्यक्ति प्रति दिन चार सौ रुपए अथवा उससे अधिक थी। आरंभ में व्यय कर प्रभार्य व्यय के 10% की दर पर रखा गया था। यह 1-6-1989 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इसे दिनांक 1.6.94 से वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा पुनः घटाकर 10% कर दिया गया है। दिनांक 1-10-1991 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1991 (सं. 2) द्वारा व्यय कर ऐसे रेस्तरां में किए गए व्यय पर भी लगाया गया था जो वातानुकूलन की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराते हों अथवा इन सुविधाओं को जुटा सकते हों। यह कर 1.6.1992 से वित्त अधिनियम 1992 द्वारा हटा दिया गया था। व्यय कर राजनयिक विशेषाधिकार रखने वाले व्यक्तियों के मामले में देय नहीं है। 1.10.1992 के बाद विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय पर भी यह कर लागू होता है। 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमान में 300 करोड़ रु. तथा 2002-2003 के लिए बजट अनुमान में 300 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

धन कर

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय विशिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया। शेयरों, बैंक में जमा राशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसंपत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया। ऐसा चैलर्या समिति की सिफारिश पर किया गया, जिसने यह सुझाव दिया था कि करदाताओं को शेयरों, प्रतिभूतियों, बॉण्डों, बैंक-जमा आदि जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा म्यूचुअल फण्डों के जरिए भी निवेशों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धन-कर से छूट दी जानी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की थी कि धन-कर व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा सभी कम्पनियों पर, केवल अनुत्पादक परिसंपत्तियों जैसे आवासीय मकानों, फार्म हाउसों, शहरी भूमि, आभूषणों, बुलियन, मोटर कार, विमान, नावों, याँट आदि के संबंध में ही लगाया जाना चाहिए।

धन-कर के संबंध में संशोधित अनुमान 2001-2002 में 145 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2002-2003 में 145 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

सीमा शुल्क

वर्ष 2001-2002 के लिए निवल सीमा शुल्क राजस्व 43170 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह अनुमान 2002-2003 के लिए 45193 करोड़ रुपए है। अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट	संशोधित	बजट
	2001-2002	2001-2002	2002-2003
(i) आयात शुल्क	54005.00	42256.00	44165.00
(क) बुनियादी शुल्क	31019.00	24404.45	25506.98
(ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	18950.00	14909.07	15582.62
(ग) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)	3740.00	2942.48	3075.40
(घ) मोटर स्प्रीट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	...	...	...
(ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	296.00	...	...
(ii) निर्यात शुल्क	1.00	11.00	13.00
(iii) निर्यात पर उपकर	161.00	127.00	143.00
(iv) अन्य प्राप्तियां	655.00	776.00	872.00
जोड़	54822.00	43170.00	45193.00

सीमा-शुल्क के विभिन्न घटकों के ब्यौरे इस प्रकार है:

(i) **आयात शुल्क :-** 54005 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में, 2001-2002 के संशोधित अनुमान 42256 करोड़ रुपए आंका गया है। निवल राजस्व में अनुमानित कमी मुख्यतः शोधित पेट्रोलियम तेलों, मशीनरी और मशीनी औजार, साज-सामान, औषधीय उत्पाद, मोटर वाहन पुर्जों, लोहा और इस्पात, ताम्बा, रसायन उत्पाद, परियोजना आयातों आदि से होने वाली निम्न राजस्व प्राप्तियों के कारण है।

i (क) बुनियादी शुल्क : वर्ष 2001-2002 के दौरान बुनियादी सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 24404 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। वर्ष 2002-2003 के लिए बजट अनुमान 25507 करोड़ रुपए रखा गया है।

i (ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2001-2002 के दौरान अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 14909 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2002-2003 के लिए बजट अनुमान में यह राशि 15583 करोड़ रुपए रखी गई है।

i (ग) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2001-2002 के दौरान विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 2942 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान में यह राशि वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में 3740 करोड़ रुपए की तुलना में 3075 करोड़ रुपए रखी गई है।

i (घ) मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क : अनुमान शून्य है।

(ii) **निर्यात शुल्क :-** 2001-2002 में निर्यात शुल्कों से निवल संग्रहण का संशोधित अनुमान 1 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की तुलना में 11 करोड़ रुपए रखा गया है। 2002-2003 के बजट अनुमानों में यह 13 करोड़ रुपए रखी गई है।

(iii) **निर्यात पर उपकर :-** निर्यात पर उपकर:- वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमान और 2002-2003 के बजट अनुमान में यह क्रमशः 127 करोड़ रुपए और 143 करोड़ रुपए रखी गई है।

(iv) **अन्य प्राप्तियां :-** वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान में संग्रहण की राशि क्रमशः 776 करोड़ रुपए और 872 करोड़ रुपए रखी गई है।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। 2001-2002 के दौरान 74520 करोड़ रु. की प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि मूल बजट अनुमानों में 81720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जो 7200 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है। 2002-2003 में 91433 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। निम्नलिखित सारणी में उत्पाद-शुल्क राजस्व का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
1. (क) बुनियादी और विशेष			
उत्पाद शुल्क नीचे (ख) और (ग) को छोड़कर	65082.00	60082.80	67121.65
(ख) मोटर स्प्रिट पर उपकर	1123.00	988.00	1044.00
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर	5413.00	4480.00	4445.00
जोड़	71618.00	65550.80	72610.65
2. वस्त्रों और वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	623.00	575.15	702.49
3. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	3957.00	3653.05	4461.86
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	1000.00	747.00	850.00
5. पेट्रोलियम माल पर अधिभार	...	...	6264.00
6. निम्नलिखित द्वारा प्रशासित निर्धारित उपकर:			
(क) राजस्व विभाग	4250.00	3696.00	6252.00
(ख) अन्य विभाग	272.00	298.00	292.00
जोड़	4522.00	3994.00	6544.00
जोड़ (1+2+3+4+5+6)	81720.00	74520.00	91433.00

सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लगाये गये राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क नामक अतिरिक्त शुल्क से 2001-2002 के दौरान 1000 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमान के एवज में संशोधित अनुमान 747 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2002-2003 का बजट अनुमान 850 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट अनुमान 2002-2003 में पेट्रोलियम माल पर अधिभार लगाने से 6264 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

सेवा कर

वर्ष 2001-2002 का संशोधित अनुमान 3600 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2002-2003 का बजट अनुमान 6026 करोड़ रुपए है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
(i) टेलीफोन	1271	1712	2016
(ii) बीमा	602	442	520
(iii) दलाली	201	273	321
(iv) विज्ञापन	155	122	144
(v) कूरियर	95	107	126
(vi) रेडियो पेजिंग	13	41	48
(vii) अन्य मौजूदा सेवाएं	513	903	1501
(viii) नई सेवाएं	750	...	1350
जोड़	3600	3600	6026

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
भू-राजस्व	1.81	1.47	1.69
स्टाम्प और पंजीकरण	21.14	22.86	24.36
राज्य उत्पाद शुल्क	104.19	101.62	103.12
बिक्री कर	221.00	335.00	345.55
वाहनों पर कर	19.90	21.76	23.26
सामान और यात्रियों पर कर	3.75	3.95	4.20
बिजली पर कर और शुल्क	6.50	6.50	7.00
अन्य कर और शुल्क	3.39	3.44	3.48
जोड़	381.68	496.60	512.66
घटाइए			
संघ राज्य क्षेत्रों के करों और			
शुल्कों का स्थानीय निकायों को अंतरण	0.16	0.16	...
संघ राज्य क्षेत्रों के निवल कर	381.52	496.44	512.66

अन्य कर और शुल्क

ब्यौरा निम्न प्रकार है

(i) विदेश यात्रा कर	261.00	275.00	300.00
(ii) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	589.00	690.00	750.00
जोड़	850.00	965.00	1050.00

(i) **विदेशी यात्रा कर** वित्त अधिनियम, 1971 के जरिए 15 अक्टूबर, 1971 से विदेश यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री पर 500/- रु. की दर पर कर लगाने की व्यवस्था है। पड़ोसी देशों को की गयी यात्रा के लिए कर की दर 150/- रु. है। वापसी राशि को घटाकर संग्रहित राशि का एक तिहाई प्रतिशत संग्रहण प्रभारों के रूप में वाहक को अदा किया जाता है जिसके लिए व्यय बजट में व्यवस्था की गयी है।

(ii) **अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर:** वित्त अधिनियम, 1989 के जरिए अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। यह कर किराए के 15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित होता है और विमान द्वारा देश के भीतर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों द्वारा देय होता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप द्वीप समूह मार्ग पर की गयी यात्राओं को इस कर से छूट प्राप्त है। कुछ अन्य छूटें भी लागू होती हैं, जैसे-टिकट खरीदने हेतु अमरीकी डालर में किये गए भुगतान पर छूट प्रदान की जाती है। संग्रहण प्रभारों के रूप में वाहक को संग्रहण राशि के 5 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। संग्रहण प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था व्यय बजट में की गयी है।